प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001005

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी,
आगरा, गोरखपुर, ललितपुर, गाजियाबाद तथा कौशाम्बा।

संख्या 1/ 509 /2020–1/03/2020 : लखनऊः दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान मद में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–21/2020/881/33–3–2020–100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान की मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू0–**1,35,19,747/–(रू0 एक करोड़ पैंतीस लाख उन्नीस हजार सात सौ सैंतालिस मात्र)** निम्न लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश मे समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देत है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हे तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018– मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515– अन ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचाय अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

11.बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

12.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

13.यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

14.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

15.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

16.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2020–21 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसका समर्पण दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–74 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/509/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0, शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, गोरखपुर, ललितपुर, गाजियाबाद तथा कौशाम्बी।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-08/02/2021

प्रेषण संख्या:- 1-509-2020-01-03-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 010-01-03-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
10 -
05 - क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ(ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	583541	280390	47930	911861
		प्रगामी	41072888	7151123	2504430	50728441
2	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	6304286	167964	205828	6678078
		प्रगामी	72088956	14219869	3410668	89719493
3	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	3462772	588968	91870	4143610
		प्रगामी	15507714	2631155	833656	18972525
4	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	826008	113690	45302	985000
		प्रगामी	11206240	2210979	779900	14197119
5	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	801198	0	0	801198
		प्रगामी	27839650	4753037	1316540	33909227
	योग	वर्तमान	11977805	1151012	390930	13519747
		प्रगामी	167715448	30966163	8845194	207526805

(8)

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख उनीस हजार सात सौ सैंतालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ पचहत्तर लाख छब्बीस हजार आठ सौ पाँच

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी